न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
18 / 22	एफएसएस एक्ट, 2006	21 / 10 / 2022

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर राजस्थान ।
–आवेदक

बनाम

1. अक्षय गर्ग पुत्र श्री जयप्रकाश गर्ग उम्र 28 वर्ष जाति महाजन पावर हाउस के सामने तह0 मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक) फर्म–कृष्णा मावा एण्ड लोट्स डेयरी बरनाला रोड बाटोदा तह0 बामनवास जिला सवाई माधोपुर
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 11.08 .2025

आवेदन के अनुसार आवेदक पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर को श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) आयुक्तालय जयपुर के आदेश कमांक 310 दिनांक 13.04.2022 के अनुसार नमूना संख्या एच–2095 खाद्य वस्तु पनीर में अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। व अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक 45 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा उपलब्धा करवाई गई मूल पत्रावली के साथ प्रकरण को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किये गये है। उक्त पत्रों की प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना संख्या एच–2095 खाद्य बस्तु पनीर की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन द्वारा दिनांक 16.10. 2021 को मैसर्स कृष्णा मावा एण्ड लोट्स डेयरी, बरनामा रोड़, बाटोदा तह० बागनवास जिला सवाईमाधोपुर का निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण दुकान पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर खाद्य लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन मौके पर दिखाया गया। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना संख्या एच–2095 खाद्य वस्तु पनीर की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार दिनांक 16.10.2021 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन के द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 02 किलोग्राम पनीर एक स्टील की ट्रे में बिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म 5 ए मौके पर भर कर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये 'जो कि फार्म 5 ए मूल पत्रावली में संलग्न है। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना संख्या–एच–2095 खाद्य वस्तु पनीर की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार विक्रेता की उक्त 02 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विकेता अक्षय गर्ग पुत्र श्री जयप्रकाश गर्ग को रु. 250/– (दो सौ पचास रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में संलग्न है।

अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने खरीदशुदा 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किऐ गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के कोड कमांक एच–2095 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाईगाधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं० एच–2095 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार [illegible] सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर सिलप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा मौके पर दिनांक 16.10.2021 नमूनीकरण की कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर विक्रेता अक्षय गर्ग पुत्र श्री जयप्रकाश गर्ग के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में संलग्न है।अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा कार्यालय पहुँचकर फार्म सं० वि की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं० वि की एक प्रति के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को श्री मौ. असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। फार्म संख्या वि की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री मौ. असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या वि की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सख्या वि की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेट कर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चंद जैन द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है।अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा नमूने का शेष चौथा भाग एवं फार्म संख्या वि की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चंद जैन द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है।

अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2021/2359 दिनाक 02.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से जांच रिपोर्ट सख्या एलएस/1230/एक्ट/2021/1205 दिनांक 24.10.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का पाया गया, पत्र की प्रति मय रजिस्ट्री रसीद व मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है।

खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक (सबस्टैंडर्ड) खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) (आईआई) का उल्लंघन किया है। जिसकी सजा व जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में दोषी के विरूद्ध अधिक से अधिक सजा व जुर्माना आरोपित करने की कृपा करें।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा अवमानक (सबस्टैंडर्ड) खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) (आईआई) का उल्लंघन किया है। जिसकी सजा व जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना से दण्डित किया जावें, जिससे आमजन को भविष्य में सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त कार्यवाही द्वेषता पूर्वक गलत रूप से की गई है। उक्त खाद्य पदार्थ स्टील की ट्रे में नहीं रखा हुआ था बल्कि प्रार्थी की दुकान में रखे हुए डिफ्रिज में रखा हुआ था। जिसमें सील बंद पैकिट को निकालकर नमूने के लिए ले जाया गया था। प्रार्थी खुले में पनीर नहीं रखता है ना ही उक्त पनीर प्रार्थी का स्वयं का उत्पात है। बल्कि प्रार्थी लोटर्स डेयरी का बूथ लिया हुआ है तथा लोटर्स कम्पनी के उत्पादों का ही विक्रय किया जाता हैं, जिसमें जबाबदार द्वारा ना तो कोई मिलावट की गई है, बल्कि जिस रूप में प्रोडेक्ट आता है उसी रूप में बेचा जाता है किन्तु जांच अधिकारी द्वारा गलत तरीके से उक्त तथ्यों को कार्यावाही में छिपाया गया है व गलत तरीके से पनीर को खुला होना लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि जांच अधिकारी व उनके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

साथ संलग्न कार्यवाहियों द्वारा पीछे पद से हस्ताक्षर किये ओवर्स कम्पनी के पनीर की जगह दूसरा पनीर के सैम्पल लेकर मुकदमा गलत रूप से बनाया गया है व जानबूझकर को गलत रूप से प्रकरण में लिप्त किया गया है, साथ ही अभियुक्त सं० 1 के अतिरिक्त के कार्यवाही द्वारा करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एसएफएल/1230/एफए/2021/1205 दिनांक 24.10.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा उससे नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर असुरक्षित प्रकृति का पाया गया है। जहां तक अभियुक्तगण का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना में बदलाव किया गया है, उक्त क्रम में नमूने की समस्त कार्यवाही अभियुक्त के सामने हुई है तथा उक्त नमूने को सील बन्द कर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर करवाये गये है। ऐसी स्थिति में नमूना में बदलाव होने की कोई स्थिति प्रकट नहीं होती है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं० 1 को 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested